न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 24 सन 2019

अनवान :–

1. रमेश कुमार पुत्र पप्पूराम जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री आन्नद कुमार अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :– 16/3/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 22 एनटीआर के खसरा न0 5 में जरिये ईन्तकाल संख्या 782 दिनांक 06.09.2017 के अनुसार 1/11 हिस्सा प्रार्थी के नाम से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के हिस्से में आती है एवं प्रार्थी के नाम चक 23 एनटीआर के खसरा न0 5 में जरिये इन्तकाल संख्या 631 दिनांक 06.09.2017 के अनुसार 1/11 हिस्सा भूमि प्रार्थी के हिस्से में आती है दोनो जगह प्रार्थी के नाम भूमि दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम नानुराम पुत्र पप्पुराम दर्ज कर दिया जो कतई गलत है प्रार्थी का सही नाम रमेश कुमार पुत्र पप्पुराम है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है।प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

प्रार्थी के सभी दस्तावेजात जैसे आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड ,बैक खाता एवं विधालय की टीसी व भामाशाह कार्ड वोटर कार्ड ,सभी में प्रार्थी का नाम रमेश कुमार पुत्र पप्पुराम दर्ज है एवं ग्राम पचायत 22 एनटीआर के प्रमाण पत्र के अनुसार भी प्रार्थी का नाम रमेश कुमार पुत्र पप्पुराम दर्ज है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 22 एनटीआर व चक 23 एनटीआर के खाता संख्या 79/84 एवं चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 88/89 में प्रार्थी का नाम सयुक्त खाते में नानुराम पुत्र पप्पुराम दर्ज है के स्थान पर रमेश कुमार पुत्र पप्पुराम संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया अप्रार्थी की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण फरमावे। जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षो को सुना गया ।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 22 एनटीआर के खसरा न0 5 में जरिये ईन्तकाल संख्या 782 दिनांक 06.09.2017 के अनुसार 1/11 हिस्सा प्रार्थी के नाम से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के हिस्से में आती है एवं प्रार्थी के नाम चक 23 एनटीआर के खसरा न0 5 में जरिये इन्तकाल संख्या 631 दिनांक 06.09.2017 के अनुसार 1/11 हिस्सा भूमि प्रार्थी के हिस्से में आती है दोनो जगह प्रार्थी के नाम भूमि दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम नानुराम पुत्र पप्पुराम दर्ज कर दिया जो कतई गलत है प्रार्थी का सही नाम रमेश कुमार पुत्र पप्पुराम है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है।प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

प्रार्थी के सभी दस्तावेजात जैसे आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड ,बैक खाता एवं विधालय की टीसी व भामाशाह कार्ड वोटर कार्ड ,सभी में प्रार्थी का नाम रमेश कुमार पुत्र पप्पुराम दर्ज है एवं ग्राम पचायत 22 एनटीआर के प्रमाण पत्र के अनुसार भी प्रार्थी का नाम रमेश कुमार पुत्र पप्पुराम दर्ज है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 22 एनटीआर व चक 23 एनटीआर के खाता संख्या 79/84 एवं चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 88/89 में प्रार्थी का नाम

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सयुक्त खाते में नानुराम पुत्र पप्पुराम दर्ज है के स्थान पर रमेश कुमार पुत्र पप्पुराम संशोधन करने के आदेश फरमावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थीना पत्र का निस्तारण फरमावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 23 एनटीआर एवं रोही मौजा चक 22 एनटीआर में प्रार्थी के नाम सयुक्त खाता में खातेदारी भूमि दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम नानुराम पुत्र पप्पुराम दर्ज है।

प्रार्थी का कथन है कि उसका सही नाम रमेश कुमार पुत्र पप्पुराम है राजस्व रिकार्ड में गलत तौर से अंकन किया गया है जिसे संशोधन फरमावे। अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजात जैसे आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड , परिवार भामाशाह कार्ड , बैक की खाते की कॉपी , फोटो मतदाता पहचान पत्र , विधालय की टी.सी. आदि प्रस्तुत किये समस्त दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम रमेश कुमार पुत्र पप्पुराम दर्ज है।

ग्राम पंचायत 22 एनटीआर के प्रमाण पत्र के अनुसार प्रार्थी को व्यक्तिगत रूप से जानता हु प्रार्थी का सही नाम रमेश कुमार पुत्र पप्पुराम है राजस्व रिकार्ड में गलत तौर से दर्ज है।

इस प्रकार प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र एवं पेरोकार राज के जबाब के अनुसार प्रार्थी का सही नाम रमेश कुमार पुत्र पप्पुराम होना प्रतित होता है।

प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करने से सहकाश्तकारों के हिस्सों में परिर्वतन नही होता है एवं नाम संशोधन से राज्य सरकार को भी किसी प्रकार की हानी नही होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही आदिनांक होता है।

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात सरंपच ग्राम पंचायत 22 एनटीआर के प्रमाण पत्र , पेरोकार राज के जबाब के अनुसार प्रार्थी का नाम रमेश कुमार पुत्र पप्पुराम होना प्रतीत होता है अर्थात प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट/प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों /सरपंच ग्राम पंचायत पाण्डुसर के प्रमाण पत्र के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 23 एनटीआर के खाता संख्या 79/84 एवं चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 88/89 में प्रार्थी का नाम सयुक्त खाते में नानुराम पुत्र पप्पुराम दर्ज है के स्थान पर रमेश कुमार उर्फ नानुराम पुत्र पप्पुराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 16/3/20 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)